11/6/19

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. है।
वकील पक्षकारान को बहस सुनी जाकर
अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 के
पक्ष मे जारी स्थगन आदेश दि. 13.7.12
से मूल वाद के निस्तारण तक प्रभावी
किया जावे। प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसला
हुजूर होकर नम्बर से कम हो।
आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

आज्ञा या
वाही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner